

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1387

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व

1387 डा. अमी याज्ञिक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है और उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1950 में इसकी स्थापना के बाद से केवल 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या यह न्यायपालिका में महिलाओं के अल्प प्रतिनिधित्व को उजागर नहीं कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व शून्य है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ङ) : तारीख 25.07.2022 तक, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या 34 के समक्ष 04 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या 1108 के समक्ष 96 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं । तारीख 25.07.2022 तक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

उपाबंध-1 पर है । तारीख 25.07.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या **उपाबंध-2** पर है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। तथापि, सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाए ।

संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का दायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का होता है ।

उपाबंध-1

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	25.07.2022 तक महिला न्यायाधीशों की कार्यरत पद संख्या
क	भारत का उच्चतम न्यायालय	04
ख	उच्च न्यायालय	
1	इलाहाबाद	05
2	आंध्र प्रदेश	04
3	बॉम्बे	08
4	कलकत्ता	07
5	छत्तीसगढ़	01
6	दिल्ली	12
7	गुवाहाटी	02
8	गुजरात	06
9	हिमाचल प्रदेश	02
10	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	02
11	झारखंड	01
12	कर्नाटक	05
13	केरल	06
14	मध्य प्रदेश	03
15	मद्रास	12
16	मणिपुर	00
17	मेघालय	00
18	उड़ीसा	01
19	पटना	00
20	पंजाब और हरियाणा	07
21	राजस्थान	02
22	सिक्किम	01
23	तेलंगाना	09
24	त्रिपुरा	00
25	उत्तराखंड	00
	कुल	96

25.07.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की राज्य-वार कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ)	सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ)	जिला न्यायाधीश
1	आंध्र प्रदेश	123	55	45
2	अरुणाचल प्रदेश	7	4	1
3	दिल्ली	166	20	95
4	कर्नाटक	149	120	89
5	पुडुचेरी	2	0	3
6	राजस्थान	260	121	126
7	तमिलनाडु	216	100	112
8	नागालैंड	6	2	7
9	तेलंगाना	131	36	50
10	दादरा और हवेली	0	0	0
11	दमण और दीव	0	0	0
12	गोवा	15	8	5
13	महाराष्ट्र	346	139	112
14	सिक्किम	0	0	0
15	मेघालय	14	9	9
16	मणिपुर	5	10	4
17	मिजोरम	13	2	6
18	असम	120	61	21
19	बिहार	256	33	38
20	चंडीगढ़	7	0	4
21	छत्तीसगढ़	99	40	44
22	गुजरात	104	74	50
23	हरियाणा	70	59	52
24	हिमाचल प्रदेश	36	11	8
25	जम्मू - कश्मीर	37	24	8
26	केरल	125	39	42
27	लद्दाख	1	2	0
28	लक्षद्वीप	0	0	0
29	मध्य प्रदेश	300	133	103
30	ओडिशा	185	114	45
31	पंजाब	156	59	60
32	त्रिपुरा	20	14	4
33	उत्तर प्रदेश	404	170	220
34	उत्तराखंड	51	33	22
35	झारखंड	85	39	10
36	अंडमान और निकोबार	0	0	0
37	पश्चिमी बंगाल	210	80	40
	कुल	3719	1611	1435
